माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी 1218-II-15

प्रकरण क्रं.....2015 / निगरानी

1. रामसिंह पिता रतनसिंह
2. जुझारसिंह पिता रतनसिंह

निवासीगण ग्राम सिरोंज तहसील

एवं जिला देवास (म.प्र.) .... प्रार्थीगण / रिस्पांडेन्ट

दिनांक 29-5-15 को श्री राजेश चौहान अभि० द्वारा प्रस्तुत

विरूद्व

29-5-15

SO

मायाराम पिता मून्नालाल गारी

निवासी– ग्राम सिरोंज तहसील

एवं जिला देवास (म.प्र.) .... प्रतिप्रार्थीगण / अपीलांट

विषयः—न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, (राजस्व) उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रं.430 / अपील / 2014–15 में पारीत अंतरिम आदेश दि.18.05.2015 के विरूद्व धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत निगरानी।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण द्वारा निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

निगरानी के आधार

1. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय में अंतरिम निगरानी आदेश पारीत करने में घटनात्मक, वैधानिक एवं क्षैत्राधिकार विषयक् त्रुटि की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1218–दो/2015 जिला देवास

रामसिंह आदि विरूद्ध मायाराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–5–2015	आवेदक की ओर से श्री राजेश चौहान अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 430/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। निगरानी याचिका के साथ धारा 52 का आवेदन भी प्रस्तुत किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि उसके द्वारा दिनांक 12–5–2015 को धारा 148–ए सी0पी0सी0 के अन्तर्गत केवीयेट अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी। इसके बावजूद भी आवेदक को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये अपर आयुक्त ने अनावेदक के पक्ष में दिनांक 14–5–2015 को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5–5–2015 का कियान्वयन स्थगित कर दिया। इसके पश्चात दिनांक 18–5–2015 को पुनः स्थगन को निरंतर कर दिया। अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से निर्णय लेकर स्थगन देने के उपरांत पुनः स्थगन को बढाने में त्रुटि की है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया कि अपर आयुक्त के आदेश के द्वारा ग्राम का रूढिगत रास्ता रोक दिया जायेगा जिससे विवाद उत्पन्न होगा। आवेदक अभिभाषक ने प्रकरण ग्राह्य करने तथा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 14–5–15 एवं 18–5–2015 को स्थगित करने का अनुरोध किया।	

अधिकारी के उक्त आदेश पर लम्बी अवधि दिनांक 30–6–15 तक स्थगन दे दिया। इससे प्रार्थी का अपने खेत पर आने जाने का रास्ता रूक गया है। खेत में उसकी फसल खडी है, रास्ता रूक जाने से उसकी फसल को नुकसान हो जायेगा।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क तथा याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18–5–15 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5–5–15 का कियान्वयन दिनांक 30–6–15 तक स्थगित किया है। आवेदक का तर्क है कि इतनी लम्बी अवधि के लिए स्थगन देने से रास्ता रूक जाने से वह अपने खेत पर नहीं जा पा रहा है तथा अपनी फसल नहीं ले पा रहा है, जिससे उसे अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः आवेदक के कथन पर विश्वास करते हुये तथा सुविधा संतुलन आवेदक के पक्ष में होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18–5–15 दिनांक 8–6–15 तक स्थगित किया जाता है, ताकि आवेदक अपने खेत पर खड़ी फसल ले जा सके। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करने पर अपने प्रकरण में दिनांक 8–6–15 को उभय पक्षों की सुनवाई करें तथा विधि अनुकूल आदेश पारित करें। प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य